



जनपद बिजनौर
प्रेस नोट - थाना बढापुर

दिनांक:-14.08.2026

थाना बढापुर पुलिस मु0अ0सं0 132/2026 धारा 137(2) बीएनएस से संबंधित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया ।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

आज दिनांक-14.08.2026 को वादिया द्वारा थाना बढापुर पर तहरीर दी गई कि अभियुक्त मौ0 दानिश पुत्र मौ0 अकरम उर्फ डैनी निवासी मौहल्ला सत्तियान कस्बा व थाना बढापुर जनपद बिजनौर वादिया के 08 माह के पुत्र को अपने साथ ले जा रहा था जिसे वादिया के पड़ोसियो द्वारा पकड़ लिया गया । प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बढापुर पर मु0अ0सं0-132/2026 धारा 137(2) बी.एन.एस. पंजीकृत किया गया । थाना बढापुर पुलिस द्वारा अभियुक्त मौ0 दानिश पुत्र मौ0 अकरम उर्फ डैनी निवासी मौहल्ला सत्तियान कस्बा व थाना बढापुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता

मौ0 दानिश पुत्र मौ0 अकरम उर्फ डैनी निवासी मौहल्ला सत्तियान कस्बा व थाना बढापुर जनपद बिजनौर

आपराधिक इतिहास अभियुक्त

1.मु0अ0सं0-132/2026 धारा 137(2) बीएनएस थाना बढापुर जनपद बिजनौर



जनपद बिजनौर
प्रेस नोट- थाना नगीना

दिनांक-14.08.2026

थाना नगीना पुलिस द्वारा मु०अ०सं० 216/2026 धारा 137(2)/64(1)/351(3) बीएनएस व ¾ पॉक्सो एक्ट से संबंधित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया ।

संक्षिप्त विवरण -

दिनांक 31.07.2026 को वादिया ने थाना नगीना पर अपनी पुत्री को अभियुक्त विकास पुत्र विपिन निवासी ग्राम गढी थाना बढापुर बिजनौर आदि 08 अभियुक्तों द्वारा बहलाफुसलाकर ले जाने तथा वादिया को जान से मारने की धमकी देने के संबंध मु०अ०सं० 216/2026 धारा 137(2)/351(3) बीएनएस पंजीकृत कराया गया था ।

दिनांक 03.08.26 को पीडिता/अपहृता के स्वयं थाना आकर दिये गए बयान के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 64(1) बीएनएस व ¾ पॉक्सो एक्ट की वृद्धि की गई ।

कार्यवाही-

थाना नगीना पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त विकास पुत्र विपिन निवासी ग्राम गढी थाना बढापुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया । अग्रिम आवश्यक कार्यवाही प्रचलित है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

अभियुक्त विकास पुत्र विपिन निवासी ग्राम गढी थाना बढापुर जनपद बिजनौर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

- 1.उ०नि० श्री अजित कुमार थाना नगीना जनपद बिजनौर
2. का० 1729 तरुण कुमार थाना नगीना जनपद बिजनौर





जनपद बिजनौर

प्रेस नोट-थाना हल्दौर

दिनांक- 14.08.2026

थाना हल्दौर पुलिस टीम द्वारा दो अभियुक्तों को 02 प्लास्टिक थैला/बोरा में कुल 42 पच्चे अवैध देशी शराब सहित गिरफ्तार किया गया।

कार्यवाही:-

जनपद में अवैध शराब के निर्माण/बिक्री/परिवहन करने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना हल्दौर पुलिस द्वारा अभियुक्तगण 1.अंकुश कुमार पुत्र नरेन्द्र सिंह ग्राम खारसपुर थाना हल्दौर जनपद बिजनौर व 2.मुन्नू पुत्र भूरसैन सैनी ग्राम जहानाबाद उर्फ महमदाबाद थाना हल्दौर जनपद बिजनौर को 02 प्लास्टिक थैलों/बोरा कुल 42 पच्चे देशी शराब सहित गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में थाना हल्दौर पर मु0अ0सं0 198/2026 धारा 60(1)



आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त गण का नाम व पता:-

- 1.अंकुश कुमार पुत्र नरेन्द्र सिंह ग्राम खारसपुर थाना हल्दौर जनपद बिजनौर
- 2.मुन्नू पुत्र भूरसैन सैनी ग्राम जहानाबाद उर्फ महमदाबाद थाना हल्दौर जनपद बिजनौर

बरामदगी का विवरण:-

02 प्लास्टिक थैला/बोरा कुल 42 पच्चे (देशी शराब मसाला नाइट किंग मार्का)।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. का0 2742 विकास प्रताप सिंह थाना हल्दौर जनपद बिजनौर
2. का0 2917 आदित्य पांचाल थाना हल्दौर जनपद बिजनौर
3. का0 2846 अजय प्रताप थाना हल्दौर जनपद बिजनौर
4. का0 2875 वंश तोमर थाना हल्दौर जनपद बिजनौर



**जनपद बिजनौर
प्रेस नोट-थाना स्योहारा**

दिनांक 14.08.2026

**थाना स्योहारा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0- 302/2026 धारा 333,109(1),191(2),191(3),
190,115(2),352,351(3) बीएनएस से संबंधित 01 अभियुक्त को अवैध शस्त्र सहित गिरफ्तार
किया गया ।**

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 03.08.2026 को वादिया द्वारा थाना स्योहारा पर तहरीर दी गयी कि अभियुक्तगण 1 युनुस पुत्र हमीद 2 सायरा पत्नी युनुस, 3 शादाब पुत्र युनुस 4 शोएब पुत्र युनुस, 5 प्रिंस पुत्र सुभाष निवासीगण मौ0 सराय सहसपुर थाना स्योहारा जनपद बिजनौर 6. आजम पुत्र मरगूब 7. मरगूब पुत्र यासीन निवासीगण मौ0 अफगानान कस्बा सहसपुर थाना स्योहारा जनपद बिजनौर तथा 03 अज्ञात व्यक्ति द्वारा एक राय होकर लोहे की सरिया व अवैध शस्त्र लेकर उसके घर में घुस आए तथा वादिया व उसके परिजनो से गाली-गलौज एवं अभद्रता की तथा अभियुक्तगण द्वारा जान से मारने की नीयत से फायर किया गया तथा जाते समय जान से मारने की धमकी दी गई ।



प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना स्योहारा पर मु0अ0सं0 302/2026 धारा 333,109(1),191(2),191(3), 190,115(2),352,351(3) बीएनएस पंजिकृत किया गया तथा दौराने विवेचना अभियोग उपरोक्त में अभियुक्त विपिन सिसौदिया पुत्र टीकम सिंह निवासी ग्राम पालनपुर थाना स्योहारा जनपद बिजनौर हाल पता गैस एजेन्सी के पीछे विकास नगर कस्बा व थाना स्योहारा जनपद बिजनौर का नाम प्रकाश मे आया है ।

कार्यवाही-

आज दिनांक 14.08.2026 को थाना स्योहारा पुलिस द्वारा अभियोग उपरोक्त में प्रकाश में आये अभियुक्त विपिन सिसौदिया पुत्र टीकम सिंह निवासी ग्राम पालनपुर थाना स्योहारा जनपद बिजनौर हाल पता गैस एजेन्सी के पीछे विकास नगर कस्बा व थाना स्योहारा जनपद बिजनौर को एक अवैध तमंचा 32 बोर मय दो जिंदा कारतूस 32 बोर सहित गिरफ्तार किया गया । बरामदगी के आधार पर अभियोग उपरोक्त में धारा 3/25 आयुध अधिनियम की वृद्धि की गयी । अन्य आवश्यक कार्यवाही प्रचलित है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता:-

विपिन सिसौदिया पुत्र टीकम सिंह निवासी ग्राम पालनपुर थाना स्योहारा जनपद बिजनौर हाल पता गैस एजेन्सी के पीछे विकास नगर कस्बा व थाना स्योहारा जनपद बिजनौर

बरामदगी का विवरण-

एक अवैध तमंचा 32 बोर मय दो जिंदा कारतूस 32 बोर

गिरफ्तार करने वाली टीम

1. व0उ0नि0 श्री सुरजीत सिंह थाना स्योहारा जनपद बिजनौर ।
2. उ0नि0 श्री अरूण कुमार थाना स्योहारा जनपद बिजनौर ।
3. हे0का0 157 सरीत सिंह थाना स्योहारा जनपद बिजनौर ।
4. का0129 कुलदीप सिंह थाना स्योहारा जनपद बिजनौर ।
5. का0 310 बबलू थाना स्योहारा जनपद बिजनौर ।
6. रि0का0 2876 अंशुल राणा थाना स्योहारा जनपद बिजनौर ।